न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-76 / 2016 दायर दिनांक: 25.05.2016
GCMS NO:- 2016/00163
पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. नुरका बाई पत्नी राधाकिशन जाति तेली निवासी ग्राम गुदली तहसील नैनवां जिला बून्दी।

-वादिया-

बनाम

1. अंजनी कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र विमल कुमार जाति महाजन हाल निवासी बसन्त विहार जिला कोटा।
3. अनिल कुमार पुत्र विमल कुमार जाति महाजन हाल निवासी बसन्त विहार जिला कोटा।
4. अरूण कुमार पुत्र विमल कुमार जाति महाजन हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रतन बाई पत्नी विमल कुमार जाति महाजन हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. राकेश कुमार पुत्र विमल कुमार जाति महाजन हाल निवासी बसन्त विहार जिला कोटा।
7. रेनमनुषा पुत्री विमल कुमार जाति महाजन हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. भानू कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन हाल निवासी माटून्डा रोड बून्दी।
9. सुशील कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. मुकेश कुमारपुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. दिनेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन हाल निवासी बसन्त विहार जिला कोटा।
12. सुनिता पुत्रीमदन लाल जाति महाजन निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. मन्नी बेवा मदनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. भगवत प्रसाद पुत्र चौथमल जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
15. मिश्रीं बाई बेवा चौथमल जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
16. पुष्पा बाई पत्नी प्रताप जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
17. सत्यनारायण पुत्र प्रताप जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासीग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
18. बद्रीलाल पुत्र प्रताप जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
19. शम्भूलाल पुत्र प्रताप जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासीग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।
20. ब्रजराज पुत्र प्रताप जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

[illegible] पुत्र प्रताप जाति बाबाजी निवासी भंवर खोल हाल निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।

22. भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

23. राजस्थान राज्य श्रीमान जिलाधीश महोदय, बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

वाद पत्र:— अंतर्गत धारा 251 क आर.टी एक्ट

उपस्थिति—
वादीगण एवं प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 18.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भंवरखोल पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां में भूमि वादिया का हिस्सा 1/2 की खसरा संख्या 74/09–12 एवं 75/00–03 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम भंवरखोल पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां में वादिया की भूमि में आने जाने के लिए एक रास्ता खसरा संख्या 206 की पूर्व तरफ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते के अनुसार चल कर खसरा संख्या 206 दक्षिणी पूर्वी कोने पर खसरा संख्या 203 के आने वाले रास्ते से मिलता है फिर खसरा संख्या 206 व 172 के बीच की सीमा में होकर खसरा संख्या 204 व 73 की तरफ मुडकर वादिया के खेत खसरा संख्या 74 व 75 में पहूंचता है। उस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि ख0 सं0 172 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 है। खसरा संख्या 204, 73 व 206 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 अजंनी कुमार की है। यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के मन में बदयान्ति आ गई और गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादिया को निकलने नही दिया तथा रास्ते को फाडकर अपनी भूमि में मिलाने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादिया के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादिया को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि वादिया नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादिया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण 2 लगायत 13 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया के खसरा संख्या 74 पर आने जाने का पुराना रास्ता गे0मु0 रास्ते खसरा संख्या 203 से होता हुआ खसरा संख्या 206 व 208 के मध्य से निकलता हुआ खसरा संख्या 56 गै0मु0 रास्ते से होता हुआ खसरा संख्या 205, 206, 204 व 206 के मध्य स्थित रास्ते से होता हुआ खसरा संख्या 73 में स्थित रास्ते से होता हुआ खसरा संख्या 74 में पहुँचता है। वादिया ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर आधारहीन तथ्य पेश किया है। इसलिये वादिया का वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण 2 लगायत 13 ने अपने जवाब के विशेष आक्षेप अनुसार खसरा संख्या 206 व 208 के मध्य से निकलता हुआ खसरा संख्या 56 गै0मु0 रास्ते से होता हुआ खसरा संख्या 205, 206, 204 व 206 के मध्य स्थित रास्ते से होता हुआ खसरा संख्या 73 में होना बताया है ऐसा कोई रास्ता कभी भी मौके पर न तो था और न हैं। प्रतिवादीगण 2 लगायत 13 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाया है। वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वादिया की भूमि खसरा संख्या 74 पर जाने आने के लिए खसरा संख्या 206 व 172 ग्राम भंवरखोल के मध्य एक–एक गठठ्ा दोनो तरफ से व खसरा संख्या 73 व 172 के मध्य मेड से एक–एक गठठ्ा दोनो तरफ गे0मु0 प्रस्तावित रास्ता भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब दावा एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट तलवास में पेश हुई । उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...कारान की प्रार्थना पत्र मे बहस सुनी गयी। वादिया को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट मे वादिया को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम भंवरखोल पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां में भूमि वादिया का हिस्सा 1/2 की खसरा संख्या 74/09-12 एवं 75/00-03 बीघा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 206 व 172 ग्राम भंवरखोल के मध्य एक-एक गठ्ठा दोनो तरफ से व खसरा संख्या 73 व 172 के मध्य मेड़ से एक-एक गठ्ठा दोनो तरफ भूमि जिसे जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner